# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : श्री चुनिया** | **विपक्षी : सरपंच वारणी**

**किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम** | **पत्रावली संख्या : 11/24**

**जीसीएमएस : 2024/494**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 20.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मुझ अपीलान्ट के नाम पर 1/2 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी परन्तु चुनिया पिता भेरा मेघवाल के विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा मुझ अपीलान्ट के नाम दर्ज भूमि का भी नामान्तरकरण पारित कर दिया गया, जिसे खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत वारणी द्वारा दिनांक 20.10.2022 को नामान्तरकरण संख्या 898 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण चुनिया पिता भेरा मेघवाल मृत्यु होने से विरासत के आधार पर पारित किया गया था परन्तु अपीलान्ट चुनिया पिता चेना मेघवाल के नाम दर्ज भूमि का भी विरासत का नामान्तकरण पारित करते हुए चुनिया पिता भेरा मेघवाल के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। जिसे ग्राम पंचायत वारणी के सरपंच द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं। चूंकि चुनिया पिता चेना मेघवाल अपीलान्ट होकर वर्तमान में जीवित है। अतः इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जीवित व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि को विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की गई हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत वारणी द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत वारणी द्वारा विरासत के नामान्तरकरण सं. 898 दिनांक 20.10.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार घासा को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में चुनिया पिता भेरा मेघवाल के विधिक वारिसों की जांच करते हुए चुनिया पिता भेरा मेघवाल के नाम दर्ज भूमि में ही विरासत का नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested